न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री जगदीश सिंह आशिया,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 23 / 2024

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

लालाराम पुत्र आम्बाराम उम्र 62 वर्ष जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी लोहिड़ी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर हाल बालोतरा	1. अचलाराम पुत्र छोगाराम उम्र 30 वर्ष 2. पारूदेवी पत्नि छोगाराम उम्र 70 वर्ष 3. भोपाराम पुत्र छोगाराम उम्र 25 वर्ष 4. वींजाराम पुत्र छोगाराम उम्र 28 वर्ष 5. झमुदेवी पत्नि मोड़ाराम उम्र 60 वर्ष 6. देवाराम पुत्र मोड़ाराम उम्र 28 वर्ष 7. मोहनलाल पुत्र मोडाराम 30 वर्ष 8. भंवराराम पुत्र आम्बाराम उम्र 61 वर्ष 9. मंगलाराम पुत्र आम्बाराम उम्र 75 वर्ष जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासी लोहिड़ी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर हाल बालोतरा 10. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा भूका भगतसिंह 11. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री पाबूराम बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री बाबूलाल विशनोई अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 1 व 4 अनुपस्थित।
3. शेष विप्रार्थीगण एकतरफा।
4. विप्रार्थी सं. 11 के पैरोकार सरकार उप0।

निर्णय

दिनांक– 17.04.2025

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य [illegible] है, [illegible] प्रार्थीगण श्री जोगराज पोटलिया द्वारा उपस्थित होकर एक राजस्व आवेदन अ[illegible] धा[illegible] 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पेश किया गया है। जो प्रार्थी[illegible] आवेदन दर्ज रजिस्टर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:13:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौरान बहस प्रा[illegible] ने तर्क दिए कि उनकी ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है,कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 09 की संयुक्त खातेदारी भूमि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल भूंका वगतसिंह के ग्राम लोहिड़ी के खसरा संख्या 778 रकबा 24.6664 हैक्टेयर आया हुआ है।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

जिसमें प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 09 के राजस्व रिकॉर्ड में हिस्से भी खुलें हुए है,और हिस्सेनुसार प्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन विवादित भूमि का विधिवत बंटवाड़ा करवाये बिना ही विप्रार्थी विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा करते हुए प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर रहे है तथा सड़क मार्ग पर काबिज होना चाहते है एवं प्रार्थी के कब्जा काश्त भूमि में जबरदस्ती निर्माण करने की कोशिश की जा रही है। यदि दौराने विचारण वाद के प्रार्थी की कब्जाशुदा खातेदारी भूमि के कब्जे काश्त एवं उसके मौके की स्थिति में फेरबदल हो जाता है,तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी भरपाई भविष्य में भी संभव नहीं है। अतः प्रार्थी के पक्ष में विप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशंय का स्थगन आदेश जारी किया जावे,कि वे विवादित भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्राथीगर्ण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी सं. 1 व 4 के वकील उपस्थित हुए, परन्तु उनकी ओर से कोई प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया तथा शेष विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 09 की संयुक्त खातेदारी भूमि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल भूंका वगतसिंह के ग्राम लोहिड़ी के खसरा संख्या 778 रकबा 24.6664 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिसमें प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 09 के राजस्व रिकॉर्ड (जमाबन्दी) में हिस्से भी खुए हुए है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी अवलोकन से स्पष्ट है। विधिवत बंटवाड़ा नहीं होने तक प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है। यदि दौराने विचारण वाद प्रार्थीगण को कब्जा शुदा खातेदारी भूमि से बेदखल करने की कोशिश की जाती है अथवा विवादित भूमि की मौके स्थिति में भी फेरबदल हो जाता है एवं बिना विधिक बंटवाड़ा निर्माण इत्यादि हो जाता है तो प्रार्थी को क्षति होनी की संभावना बढती है। पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है व वाद को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदिगीया बढेगी। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से विप्रार्थीगण को अन्तरिम स्थगन आदेश से पाबंद किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विप्रार्थीगण को मूलवाद के ताफैसला तक जरियें स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि वे तहसील सिणधरी पटवार मण्डल भूंका वगतसिंह के ग्राम लोहिड़ी के खसरा संख्या 778 रकबा 24.6664 हैक्टेयर के प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी, कब्जा इत्यादि नहीं कर वादग्रस्त भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 16:13:34 IST
Reason: SelfAttested

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 17.04.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी